न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-93RAAJodhpur2022-30RTA223 Laduram ors Vs Laluram etc

01. लादुराम पुत्र धनाराम
02. गेनाराम पुत्र धनाराम
03. खेताराम पुत्र धनाराम
04. सादुलराम पुत्र धनाराम
05. सायरराम पुत्र धनाराम

जातियान् सांसी, निवासीगण- ग्राम चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. लालुराम पुत्र धनाराम
2. नैनाराम पुत्र हीराराम
3. लुणाराम पुत्र हीराराम
4. बीरमाराम पुत्र हीराराम
5. जेठाराम पुत्र हीराराम
6. केसाराम पुत्र हीराराम
7. हेमाराम पुत्र हीराराम
8. हुकमाराम पुत्र हीराराम

सभी जातियान् सांसी, निवासीगण- ग्राम चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

9. तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01 फरवरी 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 94/2010 लालुराम व अन्य बनाम लादुराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 09

नि र्ण य

दिनांक : 15 जनवरी 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 94/2010 अनवान लालुराम व अन्य बनाम लादुराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01 फरवरी 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 24 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2452 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं. 2894 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा ग्राम चेराई तहसील तिंवरी के संबंध में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2016 को पत्रावली को केम्प कोर्ट अटलसेवा केन्द्र चेराई में रखकर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई, जिसके विरुद्ध अदालत हाजा में अपील पेश की गई जो आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय को निर्देश दिये गये कि वह पक्षकारान् को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में दिनांक 01 फरवरी 2021 को अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अदालत हाजा द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने उपस्थित होकर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का निवेदन किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समय ही नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को साक्ष्य सबूत के मुकर्रर ही नहीं किया एवं सीधे ही बहस मे रखी जाकर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के मुख पृष्ट पर वादी संख्या एक से आठ दर्ज है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या एक व दो वादी संख्या एक से नौ के पक्ष में निर्णित की है। यहां यह उल्लेख करना करना आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री में वादी संख्या नौ कहां से आया, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इससे साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। वादी गवाह लालुराम ने अपने बयानों में जिरह में के दौरान यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी के उतरी आधे हिस्से पर धनाराम के वारिसान का एवं दक्षिण आधे हिस्से पर वादीगणों का कब्जा काश्त है। गवाह लालुराम ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी

15.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर वादी लालूराम का कब्जा काश्त नहीं है। कब्जा काश्त के अभाव में बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता है। वादी लालुराम ने कब्जा प्राप्ति का वाद प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक बिंदु का निस्तारण किये बिना ही आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण साक्ष्य सबूत में विचाराधीन था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निर्णय अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कर दिया एवं उसके बाद काफी समय तक प्रार्थीगण को प्रकरण की तारीख पेशी की जानकारी नही हुई। प्रार्थी दिनांक 21.02.2022 को अधिवक्ता से सम्पर्क करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर तारीख पेशी की जानकारी की तो प्रार्थी को जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2021 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। प्रार्थी द्वारा उसी दिन नकल हेतु आवेदन कर निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील पेश की है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय पारित आलौच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.02.2021 को खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील

15.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, माननीय राजस्व मण्डल, मा. उच्च न्यायालय एवं मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित निर्णयों में म्याद के बिंदु को गौण मानते हुए पक्षकारान् के न्याय प्राप्ति के लिए म्याद के बिंदु को कण्डोन किया है। लिहाजा मामले का तकनीकी आधार पर निर्णय किये जाने के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रुख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 के विरुद्ध अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 05/2017 अनवान लादूराम बनाम लालूराम को अदालत हाजा द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2018 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय को निर्देशित किया गया कि वह उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का पुनः विवेचन करते हुए तनकीवार विश्लेषण एवं निष्कर्ष अंकित करते हुए पुनः निर्णय पारित करे। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में अदालता हाजा द्वारा प्रदत निर्देशों की पालना में अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली को सीधे में ही बहस में रखी जाकर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 94/2010 अनवान लालुराम व अन्य बनाम लादुराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01 फरवरी 2021 को खारिज किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पूर्व में प्रतिप्रेषित प्रकरण में प्रदत निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए तनकीवार विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर